छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार,दिनांक 14 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 23,1947)

समय 11:00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

(1) श्री शेखर दत्त, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल।

(2) राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह, अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री।

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15—क की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 10—36/2024/वाक/पांच/(65), दिनांक 23 अगस्त,2024 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (क्रमांक 38 सन् 2016) की धारा 29 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023—2024 पटल पर रखेंगे।

4. फरवरी—मार्च, 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

5. नियम 267—क के अधीन फरवरी—मार्च, 2025 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

क्रमशः 2

7. सभापति तालिका की घोषणा

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री राजेश अग्रवाल, सदस्य, अम्बिकापुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेंस की कमी होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, रेडी–टू–ईट एवं फोर्टीफाईट आटा की आपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले स्व–सहायता समूह का चयन कर कार्य दिये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 13 जुलाई, 2025